विवरण 2क

ब.अ. 2024-25 और सं.अ. 2024-25 के बीच व्यय के बड़े अंतरों का विवरण

वर्ष 2024-25 के लिए व्यय का संशोधित अनुमान बजट अनुमान 2024-25 की तुलना में ₹ 1,04,025 करोड़ की कमी दर्शाता है। व्यय के जिन प्रमुख मदों, में परिवर्तन हुआ हैं, वे निम्नवत दर्शाई गई हैं:-

(₹ करोड़ में)

		ब.अ. 2024-25	सं.अ. 2024-25	अन्तर कमी (-)/ वृद्धि (+)	
1	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	243296	275103	(+)	31807
2	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं	11149	32630	(+)	21481
3	अन्य संचार सेवाओं (राजस्व)	7890	28242	(+)	20352
4	सड़क और पुल	4130	22355	(+)	18225
5	फसल खेती	120776	138981	(+)	18205
6	रक्षा सेवाएं	282773	297222	(+)	14449
7	पूलीस	127789	136306	(+)	8517
8	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पंजूगत परिव्यय	63318	9815	(-)	53503
9	राज्य सरकारों को अनुदान	578862	532040	(-)	46822
10	जल आपूर्ति और स्वच्छता	64303	21260	(-)	43043
11	ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती	1162940	1137940	(-)	25000
12	अन्य व्यय	2153286	2084593	(-)	68693
	कुल व्यय	**4820512**	**4716487**	(-)	**104025**

निम्नलिखित के कारण

1 सशस्त्र बलों और केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित आवशयकताओं में वृद्धि। इसमें आरक्षित निधि में अंतरण अर्थात एकीकृत पेंशन योजना भी शामिल है।

2 सरकारी गोल्ड बॉड के मोचन के लिए संवर्धित प्रावधान।

3 टेलिकॉम सेवा प्रदाताओं के लिए टेलिकॉम अवसंरचना के सृजन और संवर्धन के लिए तथा बीएसएनएल/एमटीएनएल कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कार्यान्वयन हेतु मुआवजे के संबंध में 'हायर प्रोविजन फॉर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन (यूएसओ) निधि' ।

4 ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए कृषि अवसंरचना और विकास निधि हेतु प्रावधान में वृद्धि।

5 आरक्षित निधि के अंतरण सहित पौषण आधारित सब्सिडी, पीएम-किसान, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु अधिक प्रावधान।

6 सशस्त्र बलों के राजस्व व्यय की आवशयकता में वृद्धि ।

7 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रशासनिक व्यय की आवश्यकताओं में वृद्धि।

8 पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आवश्यकता में कमी।

9 राज्य सरकारों को आवश्यकता के आधार पर सहायता अनुदान प्रावधान हेतु आवश्यकता में कमी।

10 जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत व्यय की आवश्यकता में कमी।

11 बाजार ऋण, राजकोषीय बिल, नकद प्रबंधन बिल, मुआवजा और अन्य बॉडों पर ब्याज अदायगी की आवश्यकता में कमी।